न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1667/2004/नागौर

1. पूनाराम
2. रूघनाथ
3. जस्साराम

–पुत्रगण संग्राम सभी जाति जाट निवासीगण बासनी सेजा तहसील मेडता जिला नागौर

.....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी ग्राम बासनी सेजा तहसील मेडता जिला नागौर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेडता जिला नागौर

.... प्रत्यर्थीगण/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एस.पी.सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री शंकरलाल चौधरी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 09–01–2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर कैम्प–मेडता के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–01–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा बाबत ग्राम गंठीया स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 4 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय अमल में लाई गई। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर आज्ञा दिनांक 29–08–2002 द्वारा साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–01–2004 द्वारा स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वादी के वाद को स्वीकार कर लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय इस आशय के साथ पारित किया कि ग्राम गंठिया की सरहद स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 4 में उल्लेखित भूमि के कम में 1/2 हिस्से की भूमि बाबत वादी को खातेदारी प्रदान कर दी। इसके साथ ही यह भी विवेचित किया कि इन खसरा नम्बरान में 1/2 हिस्सा का विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के भी आदेश जारी किये। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील पेश की।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों एवं विधिक् प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। आगे बताया कि मामले में लिप्त प्रश्नगत रकबा उपलब्ध राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय संग्राम के नाम दर्ज किया है तथा कालान्तर में विरासतन पूनाराम, रूघनाथ व जस्साराम को खातेदार दर्ज किया हुआ है। इस प्रकार संग्राम की आराजी में वादी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यहीं नहीं वादी ने रकबे को पैतृक होने बाबत न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। उनका कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के

समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व राजस्व रेकार्ड वादी के द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आराजी पैतृक सम्पत्ति हो। इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने वादी का आराजी में 1/2 हिस्सा मानकर वाद पत्र को डिक्री करने में भूल की है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबे पर संग्राम का अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व का एवं कालान्तर में अपीलार्थीगण का पिछले 50 वर्षो से कब्जाकाश्त बतौर खातेदार की हैसियत से काबिज चले आ रहे है। अतः 50 वर्ष पुराने राजस्व रेकार्ड को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबे पर वादी रामलाल व उसके पिता हरीराम का मौके पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है तथा पिछले 50 वर्ष से उनका नाम किसी भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। इस कारण वादी का वाद संधारण योग्य नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-01-2004 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-08-2002 को यथावत बहाल रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित बताते हुए अपील को खारिज करने का निवेदन किया। उन्होंने आगे बताया कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश नहीं किया तथा वादी द्वारा पेश साक्ष्य का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की कार्यवाही में वादी की साक्ष्य को अस्वीकार कर आराजी को पैतृक भूमि नहीं होना अवधारित करने में न्यायालय ने त्रुटिकारित की है। आगे बताया कि प्रश्नगत रकबा पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा मौके पर आधा-आधा बंट के हिसाब से सहूलियत से वे कई वर्षो से काबिज चलें आ रहे है। उनका तर्क है कि

माननीय राजस्व मण्डल ने अपने कई निर्णयों में इस मत की व्याख्या की है कि जब राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई आर्थिक हानि न हो तो ऐसे मामले में किसी एक व्यक्ति के नाम पटटा व खातेदारी हो जाने से अन्य भाईयों के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते तथा राजीनामे के प्रकरणों में साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा बाबत ग्राम गंठीया स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 4 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध आदेश दिनांक 13-03-2001 को एकपक्षीय अमल में लाई गई। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर आज्ञा दिनांक 29-08-2002 पारित करते हुए साक्ष्यों के अभाव में वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-01-2004 द्वारा स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वादी के वाद को स्वीकार कर लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय इस आशय के साथ पारित किया कि ग्राम गंठिया की सरहद स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 4 में उल्लेखित भूमि के क्रम में 1/2 हिस्से की भूमि बाबत वादी को खातेदारी प्रदान कर दी। इसके साथ ही यह भी विवेचित किया कि इन खसरा नम्बरान में 1/2 हिस्सा का विधिवत बंटवारा बाई

मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश जारी किये जावे।

8. मामले में उपखण्ड अधिकारी मेडता ने वादी के घोषणा व बंटवारे के वाद को निर्णित करते हुए मुख्तया यह अवधारित किया है कि प्रश्नगत रकबा स्वर्गीय मोतीराम की खातेदारी में होने का दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है इसके विपरीत रकबा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जो कि पूर्व में संग्राम राम की खातेदारी में दर्ज थी। अतः स्वर्गीय संग्रामराम की खातेदारी की भूमि में वादी को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। तदनुसार विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को साक्ष्यों के अभाव में अपास्त किया है। मामले में विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय अतिसूक्ष्म पारित किया है। इसी निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा पेश अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुख्यतया यह निर्णित किया कि राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त मामले में लागू होते है तथा केवल संग्रामराम के नाम पटटा व खातेदारी आ जाने मात्र से उसके भाई के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। जिसका कि प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया। तदनुसार विचारण न्यायालय ने किस आधार पर अखण्डित साक्ष्य को अमान्य करके वादी के वाद को खारिज किया, जिसे कि उनके द्वारा निर्णय में अंकित नहीं किया। मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष उचित नहीं है कि अखण्डित साक्ष्य को अमान्य करके वादी का वाद कैसे खारिज किया जा सकता।

9. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दावे में अंकित वादी की साक्ष्य को यथावत स्वीकार कर लिया गया एवं दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य लेने का प्रयास नहीं किया गया। दावे को डिक्री करने को औपचारिकता मात्र माना गया एवं साक्ष्य की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की गई है। इस प्रकार वादी के अभिकथनों को सत्य मानते हुए बिना किसी साक्ष्य के दावे को डिक्री किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में केवल वादी के द्वारा पेश साक्ष्य का परीक्षण किया गया। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध

बिना कोई साक्ष्य लिये दावा डिक्री करना विधिनुकूल नहीं है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 5 (2) के अनुसार जहां प्रतिवादीगण ने अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया है, वहां न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को सिद्ध किये जाने की अपेक्षा कर सकता है। यह भी सुस्थापित विधि है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अभिवचित तथ्यों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये एवं अभिवचित तथ्यों की पुष्टि हेतु न्यायालय साक्ष्य की अपेक्षा कर सकता है। हस्तगत मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार अवलम्बित थे कि ''क्या भूमि जागीर की थी एवं रकबे पर किस पक्षकारान का कब्जाकाश्त था तथा क्या आराजी पैतृक है अथवा नहीं''? जिनका निस्तारण किए बगैर वादी के वाद का विधि सम्मत निस्तारण नहीं किया जा सकता। सारांशतः मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुकूल नहीं पाये जाने के कारण उनका समर्थन करने का कोई ठोस आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर उक्त किए गए विवेचन की रोशनी में पुनः निर्णय हेतु मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-01-2004 व उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-08-2002 को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी मेडता को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्प्रेक्षण के अनुसरण में समस्त पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत विवाद्यकवार निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य